न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

नवान .... बनाम ....

करण संख्या ..../ अन्तर्गत धारा..

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
06/02/23	अधिवक्तागण उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त नहीं। पत्रावली वास्ते इन्तजार विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15/02/23 को पेश हो। [signature]	
15/2/23	अधिवक्तागण उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त नहीं। पत्रावली वास्ते इन्तजार विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20/02/23 को पेश हो।	
20/2/23	बार संघ का कार्य स्थगित है श्री मान PO साहब अन्य कार्य मे व्यस्त है। है पत्रावली दिनांक 27/2/23 को पेश हो। Kamal	
27/2/23	बार संघ का कार्य स्थगित है श्री मान PO साहब अन्य कार्य मे व्यस्त है। है पत्रावली दिनांक 28/2/23 को पेश हो। Kamal	
28/02/23	अधिवक्तागण उपस्थित। TDR KPR से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। दोनो पक्षो के द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रकट की। अधिवक्तागण को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा वादी का वादपत्र व प्रतिवादी सं. 3 का काउन्टर क्लेम TDR KPR से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर [illegible] मय सयाम्प ड्यूटी पेश होने पर पृथक डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णीत होकर रजिस्टर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर	दोनो विभाजन प्रस्ताव [illegible] [signature] [signature]

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:17:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या 115/2021

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. गोविन्द पुत्र जंगीर जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर 25 श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर।		1. वीरभान पुत्र तुलसा राम जाति अरोडा निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर। 2. सोहन लाल पुत्र वीरभान जाति अरोडा निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर। 3. अमृतपाल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 25 श्रीकरणपुर। 4. रणजीत सिंह पुत्र जंग सिंह जाति जटसिख निवासी धरिंगावाली तहसील श्रीकरणपुर। 5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 09.11.2021

उपस्थितः 1.श्री दलजीत सिंह बराड अधिवक्ता वादी
2.श्री रामदास सोंलकी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3

--निर्णय--

दिनांकः 28.02.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 39 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 28/28 के मुरब्बा नम्बर 49 की कुल 6.325 हेक्टैयर भूमि में से वादी के नाम 2/5 हिस्सा यानि 2.530 हेक्टैयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी एंव प्रतिवादीगण ने काश्त सहूलियत के लिए अपने-अपने हिस्सा की भूमि का वाहमी बंटवारा किया हुआ है। वादी को चक 39 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 28/28 के मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 1 ता 10 प्रत्येक के 0.253 हेक्टैयर कुल 2.530 हेक्टैयर नहरी रकबा वाहमी बंटवारा में प्राप्त हुआ है। वादी पारस्परिक सम्पति विभाजन के अनुसार अपने हिस्सा में आये किलाजात पर कई वर्षो से काबिज अवश्य है, लेकिन उक्त सम्पति संयुक्त खाता में होने के कारण वादी को हर समय भारी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है। वादी को अपने हिस्सा की कृषि भूमि, हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली अनुदान, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने व रास्ता आदि की विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी अपने नाम दर्ज कृषि भूमि का अन्य संयुक्त सहखातेदारान से किलावाईज विभाजन करवाकर, अपने कब्जा व हिस्सा की कृषि भूमि को किलावाईज अलग से अपने नाम घोषित करवाना चाहता है तथा मुझ वादी के हिस्सा में आई कृषि भूमि का राजस्व लगान भी अलग से वादी अपने नाम कायम करवाना चाहता है। आज से 10 रोज पूर्व प्रतिवादीगण ऐसा करने से इंकार हो गये है। उसी रोज वादी को वादहेतुक [illegible] है। [illegible] पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। [illegible] कि वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री सादर फरमाया जावे :- [illegible] 39 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 28/28 के मुरब्बा नम्बर 49 के किला [illegible] के [illegible] किया 0.253 हेक्टैयर कुल 2.530 हेक्टैयर नहरी भूमि का वादी के नाम अलग से खाता [illegible] जाकर अलग से लगान कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:17:52 IST
Reason: SelfAttested

कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री रामदास सोंलकी ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। काउन्टर क्लेम के अनुसार चक 39 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 28/28 के मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 21 ता 25 प्रत्येक सालम-सालम कुल 1.265 हेक्टैयर नहरी भूमि का खाता विभाजन प्रतिवादी संख्या 3 अमृतपाल सिंह के नाम से किया जाकर लगान भी अलग से कायम किए जाने के आदेश फरमाये जावे। नकल जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम वादी अधिवक्ता को दिलाई गई। वादी अधिवक्ता के द्वारा काउन्टर क्लेम स्वीकार किया। जवाब काउन्टर क्लेम बन्द किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 का जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम सहमति का है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गये। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी व प्रतिवादीगण राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादी व प्रतिवादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादी व प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 39 एफ, पटवार हल्का धरिंगावाली, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 28/28 के मुरब्बा नम्बर 49 की कुल 6.325 हेक्टैयर भूमि में वादी के हिस्सा में 2.530 हेक्टैयर व प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्सा में 1.265 हेक्टैयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 3 के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे तथा शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान उभयपक्ष अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 3 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 3 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस [illegible] जाती है कि राजस्व ग्राम 39 एफ, पटवार हल्का धरिंगावाली, भू.अ.नि. क्षेत्र अरा[illegible] तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के [illegible] 28/28 के मुरब्बा नम्बर 49 की कुल 6.325 हेक्टैयर भूमि में वादी के हिस्सा में 2.530 हेक्टैयर व प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्सा में 1.265 हेक्टैयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:17:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु. न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	गोविन्द पुत्र जंगीर जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर 25 श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। (2.530 हेक्टैयर)	39 एफ	49	1 ता 10	2.530 हेक्टैयर	नहरी	21.00
2	अमृतपाल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 25 श्रीकरणपुर। (1.265 हेक्टैयर)	39 एफ	49	21 ता 25	1.265 हेक्टैयर	नहरी	10.50

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 28.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:17:52 IST
Reason: SelfAttested